भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *350

(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान

***350. श्री वी. के. श्रीकंदन:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अपनाई गई 'आधार' आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और मानक बैंक खाता आधारित पद्धतियों के बीच मजदूरी के समय पर भुगतान या भुगतान अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में सांख्यिकीय रूप से कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा

क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मनरेगा के कई श्रमिकों ने बार-बार यह शिकायत की है कि एबीपीएस के कारण उनकी मजदूरी के भुगतान में गड़बड़ी हुई है जबकि जॉब कार्ड तथा 'आधार' संबंधी विवरण एक समान न होने के कारण कई श्रमिकों के नाम हटा दिए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि खाता आधारित भुगतान की समस्याओं को ब्लॉक स्तर के कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से स्थानीय स्तर पर हल किया जा सकता है जबकि एबीपीएस के कारण भुगतान की अस्वीकृती एक केंद्रीकृत व्यवस्था है और इसका समाधान करना कठिन है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की भुगतान और उपस्थिति से संबंधित पूर्ववर्ती पद्धति को पुन: आरम्भ किए जाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 350 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने तथा लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या में बार-बार परिवर्तन होने तथा उसके बाद उसे अद्यतन न किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसे 1 जनवरी, 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से मजदूरी के भुगतान का लाभार्थियों की आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि भुगतान सीधे वांछित लाभार्थियों के खातों में पहुंचे। इसके अलावा, एपीबीएस को अनिवार्य बनाने के बाद नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) भुगतान मोड की तुलना में "खाता बंद" और "ऐसा कोई खाता नहीं है " जैसे कारणों की श्रेणी में मजदूरी लेनदेन की अस्वीकृति को कम किया गया है। एपीबीएस को अनिवार्य बनाने के बाद से मजदूरी भुगतान के लिए कुल लेन-देन और इन दोनों कारणों से अस्वीकृत लेन-देन का विवरण नीचे देखा जा सकता है:

जनवरी, 2024 से फरवरी, 2025 की अवधि			
क्र. सं.		एपीबीएस	एनएसीएच
1	कुल लेनदेन	44,67,50,519	1,63,39,229
2	अस्वीकृत	43,789	8,98,829
3	अस्वीकृत %	0.0098%	5.50%

(ख) से (घ): एपीबीएस योजना के तहत मजदूरी वितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही को बेहतर बनाने में मदद करता है और लाभार्थियों के खाते में मजदूरी शीघ्र जमा हो जाए यह सुनिश्चित करता है। आधार प्रमाणीकरण लीकेज और भ्रष्टाचार को भी कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल सत्यापित पहचान वाले वैध लाभार्थियों को ही मजदूरी मिले। एपीबीएस के माध्यम से भुगतान में कोई विफलता होती है तो खाता-आधारित भुगतान के माध्यम से भुगतान करने का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है। वर्तमान में, कुल 13.58 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 99.50% को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है। 100% आधार सीडिंग और नरेगासॉफ्ट में एपीबीएस रूपांतरण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। जब भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या किसी अन्य हितधारक द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है , तो प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड को अद्यतन करना/हटाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य है। आधार को बैंक खाते से न जोड़ने पर जॉब कार्ड को हटाया नहीं जा सकता। जॉब कार्ड को हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 25.01.2025 के पत्र के माध्यम से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है , जिसमें जॉब कार्ड को हटाने और बहाल करने के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। एसओपी महात्मा गांधी नरेगा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है तथा नाम हटाने की शर्तें निर्धारित करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए , मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य को छोड़कर) के लिए 1 जनवरी 2023 से हर दिन श्रमिकों की दो-टाइम उल्लेखित (Stamped), जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ एनएमएमएस ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावा, एनएमएमएस के कारण श्रमिकों को होने वाली किसी भी असुविधा से बचने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई कार्यस्थल नेटवर्क वाले क्षेत्र में स्थित नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकती है, तो उपस्थिति को ऑफ़लाइन मोड में दर्ज किया जा सकता है और डिवाइस नेटवर्क क्षेत्र में आते ही इसे अपलोड किया जा सकता है। यदि कोई असाधारण परिस्थिति हो जिसके कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकी, तो इसके लिए छूट के प्रावधान की भी व्यवस्था है जिसे आगे ब्लॉक प्रशासन के स्तर पर विकेन्द्रित कर दिया गया है।

एनएमएमएस एप्लीकेशन के क्रियान्वयन से उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रिया की समग्र दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। एनएमएमएस उपस्थिति डेटा की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और समग्र प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा देता है।

एनएमएमएस एप्लीकेशन उसी दिन एफटीओ तैयार करने के लिए सक्षम है , जिससे मजदूरी का समय पर भुगतान करने में भी काफी मदद मिली है।

******